

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

**नियम 120 : अनुमोदन के आधार पर भेजे माल के ब्यौरे**

प्रत्येक व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन अनुमोदन पर माल भेजना है और जिसको धारा 142 की उपधारा (12) लागू है<sup>1</sup> [नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए] के भीतर प्ररूप जीएसटी ट्रान-1 के अनुमोदन पर भेजे गए ऐसे माल के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

---

<sup>1</sup> अधिसूचना क्रमांक 36/2017—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2017 द्वारा ‘नियत दिन के नब्बे दिन’ के स्थान पर प्रतिरक्षापित।